न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दूदू

बहजलास :– गोपाल परिहार (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 14/2021

मंदिर (वराह) विकास समिति

(अपीलार्थी)

बनाम

कमला देवी वगैरह

(रेस्पोडेन्ट)

प्रार्थना पत्र बाबत् निर्णय दिनांक 30.01.2009 में खसरा नम्बर 181/2 के स्थान पर 191/2 रकबा 15 बिघा 17 बिस्वा दुरूस्त किये जाने अन्तर्गत धारा 151, 152 जा.दी.

उपस्थित :–

1. श्री पन्ना लाल चौधरी अपीलार्थी की और से।

निर्णय दिनांक :– 12.11.2025

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने मान्य अदालत हाजा में धारा 82 सपठित धारा 13 राजस्थाना भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत मय रिकॉर्ड सहित पेश किया था जिसमें दोनों पक्षों को सुनकर रेफरेन्स प्रार्थना–पत्र दिनांक 30.01.2009 को स्वीकार करते हुए मान्य राजस्व मण्डल को अनुमोदनार्थ प्रेषित किया था। मान्य राजस्व मण्डल ने भी मान्य न्यायालय के निर्णय दिनांक 30.01.2009 की पुष्टि करते हुए अपने निर्णय दिनांक 03.08.2017 को प्रकरण संख्या 1951/2009 द्वारा राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी के हक में वादग्रस्त भूमि का नामान्तरकरण तस्दीक करने के आदेश फरमायें है। यह है कि प्रार्थी ने मान्य दोनों न्यायालय के निर्णय की पालना हेतु श्रीमान् के प्रार्थना पत्र पेश किया जिसके आधार पर श्रीमान् ने तहसीलदार दूदू को नामान्तरकरण तस्दीक करने के आदेश जारी किये। तहसीलदार दूदू ने मान्य न्यायालय के आदेशानुसार खसरा नम्बर 181/2 रकबा 15 बीघा 17 बिस्वा को छोडकर अन्य खसरा नम्बरान् को नामान्तरकरण तस्दीक कर दिया किन्तु खसरा नम्बर 181/2 के लिए अपनी रिपोर्ट में यह अंकित किया कि उक्त खसरा नम्बर का ग्राम साली की जमाबंदी में अंकन नहीं मिलने से नामान्तरकरण तस्दीक नहीं किया तब प्रार्थी ने राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया तो खसरा नम्बर 191/2 रकबा 15 बीघा 17 बिस्वा का जमाबंदी अंकन मिला जिससे ज्ञात हुआ कि राजस्व नक्शा ट्रेस व जमाबंदी के अनुसार विवादित खसरा नम्बर 181/2 रकबा 15 बीघा 17 बिस्वा के स्थान पर टाईपिंग त्रुटि की वजह से गलत अंकित हो गया जो तकनीकी त्रुटि है एवं दुरूस्ति योग है। निर्णय एवं रेफरेन्स प्रार्थना पत्र में उक्त अंकन दुरूस्त किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। उक्त खसरा नम्बर 191/2 रकबा 15 बीघा 17 बिस्वा का अंकन अप्रार्थीगण की खातेदारी में है जो विवादित भूमि है तथा उसक बाबत् ही रेफरेन्स प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था। प्रार्थी ने उक्त त्रुटि जानबूझकर नहीं की है बल्कि सद्भाविक तौर पर टाईपिंग त्रुटि की वजह से हुई है जो काबिल माफी है। अतः प्रार्थना पत्र पेशकर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर निर्णय दिनांक 30.01.2009 एवं रेफरेन्स प्रार्थना पत्र में वर्णित खसरा नम्बर 181/2 के स्थान पर 191/2 रकबा 15 बीघा 17 बिस्वा दुरूस्ती की जावें।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
दूदू

Scanned with OKEN Scanner

2. प्रकरण पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर पर्चा खतौनी की प्रमाणित प्रति तहसीलदार दूदू से तलब की गई।

3. प्रकरण में प्रार्थी वकील की बहस सुनी गई वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि रेफरेन्स प्रार्थना–पत्र दिनांक 30.01.2009 को स्वीकार करते हुए मान्य राजस्व मण्डल को अनुमोदनार्थ प्रेषित किया था। मान्य राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर ने भी मान्य न्यायालय के निर्णय दिनांक 30.01.2009 की पुष्टि करते हुए अपने निर्णय दिनांक 03.08.2017 को प्रकरण संख्या 1951/2009 द्वारा राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी के हक में वादग्रस्त भूमि का नामान्तरकरण तस्दीक करने के आदेश फरमायें है। तहसीलदार दूदू ने मान्य न्यायालय के आदेशानुसार खसरा नम्बर 181/2 रकबा 15 बीघा 17 बिस्वा को छोडकर अन्य खसरा नम्बरान् को नामान्तरकरण तस्दीक कर दिया किन्तु खसरा नम्बर 181/2 के लिए अपनी रिपोर्ट में यह अंकित किया कि उक्त खसरा नम्बर का ग्राम साली की जमाबंदी में अंकन नहीं मिलने से नामान्तरकरण तस्दीक नहीं किया तब प्रार्थी ने राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया तो खसरा नम्बर 191/2 रकबा 15 बीघा 17 बिस्वा का जमाबंदी अंकन मिला जिससे ज्ञात हुआ कि राजस्व नक्शा ट्रेस व जमाबंदी के अनुसार विवादित खसरा नम्बर 181/2 रकबा 15 बीघा 17 बिस्वा के स्थान पर टाईपिंग त्रुटि की वजह से गलत अंकित हो गया जो तकनीकी त्रुटि है एवं दुरूस्ति योग्य है। निर्णय एवं रेफरेन्स प्रार्थना पत्र में उक्त अंकन दुरूस्त किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। उक्त खसरा नम्बर 191/2 रकबा 15 बीघा 17 बिस्वा का अंकन अप्रार्थीगण की खातेदारी में है जो विवादित भूमि है तथा उसके बाबत् ही रेफरेन्स प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था। टाईपिंग त्रुटि की वजह से हुई है जो काबिल माफी है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर निर्णय दिनांक 30.01.2009 एवं रेफरेन्स प्रार्थना पत्र में वर्णित खसरा नम्बर 181/2 के स्थान पर 191/2 रकबा 15 बीघा 17 बिस्वा दुरूस्ती की जावें।

4. वकील प्रार्थी की बहस को गौर से सुना गया, बहस पर मनन किया । पत्रावली व दस्तावेजात का भलीभॉती अवलोकन किया गया। अवलोकन करने पर पाया कि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में टाईपिंग त्रुटि की वजह से रेफरेन्स प्रार्थना पत्र में अंकित होने से ही निर्णय दिनांक 30.01.2009 में खसरा नम्बर 191/2 के स्थान पर खसरा नम्बर 181/2 रकबा 15 बीघा 17 बिस्वा लिखा गया है। अतः निर्णय दिनांक 30.01.2009 में खसरा नम्बर 181/2 के स्थान पर खसरा नम्बर 191/2 रकबा 15 बिघा 17 बिस्वा दुरूस्त किया जाने के आदेश दिये जाते है। उक्त अंकन लाल स्याही से निर्णय दिनांक 30.01.2009 में खसरा नम्बर 181/2 के स्थान पर 191/2 रकबा 15 बीघा 17 बिस्वा का अंकन किया जावें।

5. अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। निर्णय की प्रति तहसीलदार दूदू को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हो। पत्रावली बाद तकमील फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो।

6. निर्णय आज दिनांक 12.11.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

(गोपाल परिहार)
अति0 जिला कलक्टर
दूदू